


23-5-16

राजस्व लोक अदालत के नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली अर्थात् राजस्व लोक अदालत अदालत के डेप्युटी मजिस्ट्रेट इंदौर पर पेश हुई। बाकी पार्टों व प्रत्येक शीटों के वकीलों तथा पार्टों का मूल वाद रकारिज हो जाने के इस कारण के चर्चे का कोई कोटिबाज नहीं है अतः कागज रकारिज किया जाता है पत्रावली के लाल मुद्रा देकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करवा दिया है।

10/09
दीवान



उपस्थित अधिकारी
बनियारा, टोंक (राज०)